आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध विविध वाद 01/2013 राज्य वनाम् संजय केशरी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
18.07.2017	***आदेश*** यह विविध वाद 01/2013 राज्य वनाम् संजय केशरी, जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 2580, दिनांक 20.09.2012 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 2580, दिनांक 20.09.2012 से सूचित किया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 01.09.2012 को मे0 किसान केशरी खाद भंडार बेला सिमरी, प्रो0 विजय केशरी के प्रतिष्ठान पर छापामारी की गयी। छापामारी में पाया गया कि उर्वरक बिक्रेता द्वारा 100 (एक सौ) बोरा अनुज्ञापत्र में अंकित गोदाम से अलग रखा पाया गया था जिसे जप्त कर लिया गया तथा प्रतिष्ठान के विरूद्ध ओलापुर गंगौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जप्त 100 (एक सौ) बोरा यूरिया को अधिग्रहण करने की अनुशंसा की गयी। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी में दर्ज इफको कम्पनी की 25 (पच्चीस) बोरा यूरिया तथा इन्डोगोल्फ कम्पनी की 75 (परहत्तर) बोरा यूरिया खाद जप्त किया गया था तथा अधिनियम की धारा 7 ई0सी0 एक्ट के आलोक में अधिग्रहण किया गया। चूंकि खाद खराब होने की संभावना थी, इसलिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को (एक सौ) बोरा जप्त यूरिया सरकारी दर पर बिक्री कर बिक्री की राशि अपने नजारत में जमा करने तथा जमा राशि की सूचना न्यायालय में एक पक्ष के अन्दर देने का आदेश दिनांक 07.01.2013 को दिया गया। प्रतिवादी लगतार अनुपस्थित चले आ रहे है। प्रतिवादी को अपना पक्ष हेतु पर्याप्त समय दिया गया परंतु उनकी लगतार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है तथा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मे0 किसान केशरी खाद भंडार बेला सिमरी प्रो0 विजय केशरी के प्रतिष्ठान पर छापामारी में उर्वरक बिक्रेता द्वारा 100 (एक सौ) बोरा अनुज्ञापन में अंकित गोदाम से कालाबजारी हेतु अलग रखा पाया गया था तथा इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कुछ नहीं कहना इस बात को प्रमाणित करता है। इसलिए उपरोक्त अधिग्रहण सही है।	

प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर या लिखित रूप से कुछ नहीं कहना इस बात को प्रमाणित करता है कि जप्त 100 बोरा खाद कालाबजारी हेतु अनुज्ञा पत्र में अंकित गोदाम से अलग रखा गया था।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट है कि उर्वरक बिक्रेता द्वारा कालाबजारी हेतु अनुज्ञापत्र में अंकित गोदाम से 100 बोरा अलग रखा गया। उक्त यूरिया अधिग्रहण योग्य है। अतः जप्त यूरिया को अधिग्रहित किया जाता है। चूंकि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है इसलिए इस स्तर पर इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खगड़िया से सरकारी दर पर खाद की बिक्री से प्राप्त राशि नजारत में जमा करने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खगड़िया से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखवद्ध किया जाए। तथा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित न्यायालय को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।